<u>**न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)**</u>

अपील / रसद / 56 / 2017

आसीन खॉ उचिम मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत लेवडा तहसील कांमा जिला भरतपुर

....

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 2.12.2016

:

<u>**निर्णय**</u> <u>दिनांक **22.2.2018**</u>

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 2—12—2016 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये जाने आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। प्रकरण वास्ते तलबी तहत पत्रावली में नियत था। अपीलान्ट या उसके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। कई बार आबाज दिलवाये जाने के बाबजूद अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अदम हाजरी अदम पैरवी अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22—2—2018 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official